संख्या-26/2024/101/22-2-2024-17(53)/2024

प्रेषकए

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1650/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.01.2024) दिनांक-16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, महराजनगर, थाना-पिसांवा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। पूर्व में हुई हत्या में पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.07.2006 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहों से गोली मारकर मुंशी सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं राकेश कुमार नामक व्यक्ति को घायल कर दिया । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-56/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 325/34, 427/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-7, सीतापुर के आदेश दिनांक 10.03.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.04.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 09 माह 01 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 09 माह 15 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुई हत्या में पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.07.2006 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहों से गोली मारकर मुंशी सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने व राकेश कुमार नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विपिन कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार सिंह (बंदी संख्या-47060) पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-26/2024/101(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-178/2022 मणिकान्त व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2022 एवं रिट याचिका (क्रि0) सं0-171/2022 जगजीत सिंह उर्फ जग्गा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य सहबद्ध रिट याचिका (क्रि0) सं0-178/2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-26/2024/101/22-2-2024-17(53)/2024

दिनांक 11 मार्च, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, महराजनगर, थाना-पिसांवा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। पूर्व में हुई हत्या में पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.07.2006 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहों से गोली मारकर मुंशी सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं राकेश कुमार नामक व्यक्ति को घायल कर दिया । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-56/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 325/34, 427/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-7, सीतापुर के आदेश दिनांक 10.03.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.04.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 09 माह 01 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 09 माह 15 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुई हत्या में पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.07.2006 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहों से गोली मारकर मुंशी सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने व राकेश कुमार नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विपिन कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in